

भूतपूर्व सैनिकों को नई दिल्ली नगर पालिका के स्टालों का आवंटन किया जाना

8523. श्री निहाल सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भूतपूर्व सैनिकों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने 1 जनवरी, 1978 से 31 जनवरी, 1982 की अवधि के दौरान स्टालों के आवंटन हेतु नई दिल्ली नगर पालिका को आवेदन किया था;

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा उपरोक्त अवधि के दौरान भूतपूर्व सैनिकों को दुकानों का आवंटन न करने के क्या कारण हैं जब कि दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम और अन्य केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों ने उन्हें क्वार्टर और दुकानों का आवंटन करने के लिए कोटा निर्धारित किया हुआ है ; और

(ग) क्या सरकार भूतपूर्व सैनिकों को दुकानों का आवंटन करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका को आदेश जारी करेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोष्म नारायण सिंह) : (क) नई दिल्ली नगर पालिकाने सूचित किया है कि दुकानों/स्टालों के आवंटन के मामले में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण न होने के कारण, भूत-पूर्व सैनिकों से प्राप्त आवेदन पत्रों के लिए उनके द्वारा कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

(ख) पुनर्वास महानिदेशक, रक्षा मंत्रालय ने सूचित किया है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए दुकानों और स्टालों के आरक्षण के बारे में कोई स्थाई हिदायत नहीं है । स्थाई हिदायत न होने के कारण इस बारे में प्रत्येक संगठन अपनी स्वयं की नीति अपनाने के लिए स्वतन्त्र है । सम्पदा निदेशालय और दिल्ली नगर निगम ने भूतपूर्व सैनिकों

को दुकानों/स्टालों/तहबजारी स्थलों के आवंटन का कोई कोटा निर्धारित नहीं किया है ।

(ग) जी, नहीं ।

जी० टी० रोड, शाहदरा में सीमान्त बांध

8524. श्री निहाल सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम के 'वाटर-सप्लाई' एण्ड सिवेज डिसपोजल डिपार्ट-मेण्ट ने 54" व्यास की पाईप लाइन कब रखी थी, और जी० टी० रोड, शाहदरा में सीमान्त बांध का निर्माण कब किया था;

(ख) क्या इस नाली को 56 फीट लम्बी पाईप वर्ष 1976 में यमुना में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गई थी और फरवरी, मार्च, 1977 में विभाग ने इसकी मरम्मत के लिए 21.185 लाख रुपये में निविदायें आमन्त्रित की थी ;

(ग) क्या निगम के अधिकारियों ने काला धन कमाने को ध्यान में रख कर समस्त बांध के निर्माण और पाईप बिछाने के कार्य हेतु मैसर्स यू० के० दिवान को 358075.37 रुपये में निविदा जारी की थी और क्या लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उसकी लेखा परीक्षा दिसम्बर, 1979 में की गई थी तथा लेखा परीक्षा विभाग ने लगभग तीन लाख रुपये की धनराशि के दुरुपयोग होने की ओर ध्यान दिलाया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार अपने स्तर पर इसकी जांच करेगी और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।